FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अजअदालत——जिलाकलक्टरमुकाम : दौसा

रामेश्वर प्रसाद **बनाम** **नगरपरिषद दौसाआदि**

किस्ममुकदमा: प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी. नम्बर–66/2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
26.03.2025	प्रार्थी रामेश्वर बैरवा अनुपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.3.2011 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि नगरपालिका दौसा द्वारादिनांक 19.8.2002 से 21.8.2002 तक भूखंडों की नीलामी की सूचना जारी की गई थी। उक्त सूचना को विज्ञापन में अंकित किया गया था कि इन्द्रा कालोनी से लगती हुई भूमि की नीलामी दिनांक 19.8.02 से 21.8.02 तक की जावेगी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.8.02 से 21.8.02 तक जो नीलामी की जा रही थी उसकी शिकायत जिला कलक्टर दौसा को दिनांक 16.8.2002 को की गई थी उस प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया था कि यह अवैध व फर्जी नीलामी को रोका जावे जिस पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में स्थानान्तरण कर दिया। उक्त शिकायत पत्र के जवाब में नगरपालिका दौसा ने दिनांक 5.9.2002 को उक्त शिकायत का जवाब तैयार कर दिनांक 6.9.2002 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त जवाब में दिनांक 19.8.02 से 21.8.02 को की जा रही नीलामी की भूमि इन्द्रा कालोनी दौसा की भूमि होना बताया। तत्पश्चात दिनांक 22.11.2010 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका दौसा से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें नगरपालिका के अधिकारी शशि पारीक ने एक प्रारंभिक आपत्ति पेश की कि जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में इन्द्रा कालोनी की भूमि दिनांक 19.8.02. से 21.8.02 को नीलामी कर दी गई और क्रेताओं को पट्टे जारी कर दिये। इस प्रकार नगरपालिका के अधिकारी शशि पारीक ने माननीय न्यायालय के समक्ष झूंठे कथन दर्शित किये गये है। जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 12.1.2005 को आदेश दिया कि इन्द्रा कालोनी योजना जयपुर आगरा रोड पर आवासीय भूखंड सं0 31 व 42 से 45, 33 से 41 व 46 से 47 की नीलामी कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित की जातीहै एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका दौसा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं0 143/2 में दिये गये आदेश दिनांक 9.11.2004 की पालना करें। नगरपालिका दौसा द्वारा इसी प्रकार की नीलामी दिनांक 14.10.1981 से 24.10.1981 की नीलामी के पम्पलेट में उल्लेख है कि इन्द्रा कालोनी दौसा स्थित आवासीय भूखंडो का विक्रय जरिये नीलामी की जावेगी। इस विज्ञापन में राष्ट्रीय राजमार्ग अंकित नहीं है। इसलिए यह अवैध व फर्जी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नगरपालिका के अधिकारी शशि पारीक व अन्य के विरूद्ध उक्त कृत्य के लिए मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश फरमावें। नगरपालिका दौसा हाल नगरपरिषद दौसा द्वारा जवाब प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त, वास्तविक तथ्यों के विपरीत तथा मनमाना होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा सीआरपीसी 340 के तहत नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी शशि पारीक व पूर्व अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने हेतु यह प्रकरण लेकर आये है। उक्त धारा के तहत गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने व गलत साक्ष्य कोर्ट में दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा किस प्रकार गलत दस्तावेज व साक्ष्य इस कोर्ट में प्रस्तुत किये गये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official